


प्रेषक,

आयुक्त  
ग्राम्य विकास  
उत्तर प्रदेश।



सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
खीरी, गौतमबुद्ध नगर, मैनपुरी, लखनऊ, मऊ, महोबा, सोनभद्र, रामपुर, बलिया, झाँसी,  
फर्रुखाबाद एवं जौनपुर।

पत्रांक:-जी0ओ0-127/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/दौ0आ0/2011-12 दिनांक: 16 मार्च, 2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में महामाया आवास योजना के अन्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित मात्राकृत धनराशि के उपयोग/व्यय के सम्बन्ध में।

महोदय,


बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17 (बजट)/2010, दिनांक 11-04-2011 एवं शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17 (बजट)/2010, दिनांक 9-9-2011 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत महामाया आवास योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 55000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत की गयी है। वित्तीय स्वीकृति के उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार कुल स्वीकृत धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात् रू0 5500.00 लाख की धनराशि दैवी आपदा आदि हेतु मात्राकृत की गयी है। उक्त मात्राकृत धनराशि में से रू0 715.05 लाख, रू0 104.85 लाख एवं रू0 725.92 लाख एवं रू0 300.545 लाख एवं 374.85 लाख कुल रू0 2221.235 लाख की धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है। शेष बची धनराशि रू0 3278.765 लाख में से शासनादेश संख्या-3241/38-4-112-25बजट/2011 दिनांक 13 मार्च, 2012 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए रू0 198.32 लाख (रू0, एक करोड़ अट्ठान्बे लाख बत्तीस हजार मात्र) उक्त शासनादेश में उल्लिखित जनपदों द्वारा व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश दिनांक 13-3-2012 द्वारा दी गयी स्वीकृति के क्रम में रू0 198.32 लाख (रू0 एक करोड़ अट्ठान्बे लाख बत्तीस हजार मात्र) संलग्नक-के कालम-3 के अनुसार आवंटित की जाती है। आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. धनराशि का व्यय दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवासविहीन परिवारों के लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार किया जायेगा।
2. धनराशि के व्यय में शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/ 2010, दिनांक 11-04-2011 एवं शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17 (बजट)/ 2010, दिनांक 9-9-2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. आहरण के एक सप्ताह के अन्दर आहरित धनराशि का बाउचर संख्या व दिनांक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग को सूचित किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो इसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।


उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-187 पर कर ली गई है।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(अनुराग यादव)  
प्रभारी आयुक्त,  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।  
२

पत्रांक:-जी०ओ०-127 / सम्पेक्षा / म०आ०यो० / दै०आ० / 2011-12, उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- नियोजन अनुभाग-2/3, उ०प्र० शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र० शासन।
- 10- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग-4, उ०प्र० शासन को शासनादेश संख्या-3241/38-4-112-25बजट/2011 दिनांक 13 मार्च, 2012 के क्रम में।

  
(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त (लेखा)  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।  
२

महामाया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	MEERUT	0.000	0.000
2	GHAZIABAD	0.000	39.900
3	BULANDSHAHAR	0.000	499.330
4	G.B. NAGAR*	3.600	31.950
5	BAGPAT	0.000	99.190
6	SAHARANPUR	0.000	417.830
7	MUZAFARNAGAR	0.000	146.850
8	MORADABAD	0.000	215.740
9	BIJNOR	0.000	617.650
10	RAMPUR	18.000	282.320
11	J.B.F. NAGAR	0.000	83.580
12	BAREILLY	0.000	341.760
13	BADAUN	0.000	1020.710
14	SHAHJAHANPUR	0.000	2052.410
15	PILIBHIT	0.000	426.330
16	AGRA	0.000	114.250
17	MAINPURI*	3.150	193.010
18	MATHURA	0.000	265.390
19	FIROZABAD	0.000	152.550
20	ALIGARH	0.000	201.340
21	ETAH ,	0.000	176.850
22	KANSHIRAM NAGAR	0.000	84.370
23	HATHRAS	0.000	89.320
24	JHANSI	4.365	715.705
25	JALAUN	0.000	277.430
26	LALITPUR	0.000	601.200
27	BANDA	0.000	487.090
28	HAMIRPUR	0.000	134.830
29	MAHOBA	6.305	241.445
30	CHITRAKUT	0.000	753.305
31	ALLAHABAD	0.000	2240.100
32	FATEHPUR	0.000	1330.920
33	PRATAPGARH	0.000	930.610
34	KAUSHAMBHI	0.000	2365.380
35	KANPUR NAGAR	0.000	326.410
36	KANPUR DEHAT	0.000	805.070
37	ETAWAH	0.000	425.820
38	FARRUKHABAD	19.350	310.950

D:\ram prasad release

महामया आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
39	KANNAUJ	0.000	393.530
40	ORRAIYA	0.000	152.870
41	VARANASI	0.000	396.170
42	GHAZIPUR	0.000	713.480
43	JAUNPUR	33.300	1467.200
44	CHANDAULI	0.000	896.850
45	MIRZAPUR	0.000	724.140
46	SONBHADRA	24.300	1223.550
47	S. R. NAGAR	0.000	1293.200
48	LUCKNOW	22.950	1582.100
49	SITAPUR	0.000	2120.860
50	UNNAO	0.000	1629.060
51	HARDOI	0.000	2801.110
52	KHERI	57.600	3006.120
53	RAE BARELI	0.000	1147.410
54	GORAKHPUR	0.000	765.110
55	DEORIA	0.000	429.670
56	KUSHINAGAR	0.000	433.510
57	MAHRAJGANJ	0.000	670.920
58	BASTI	0.000	368.280
59	SIDHARTHANAGAR	0.000	916.240
60	S.K.NAGAR	0.000	320.570
61	AZAMGARH	0.000	782.980
62	MAU	0.900	622.320
63	BALLIA	4.500	1407.220
64	FAIZABAD	0.000	455.660
65	BARABANKI	0.000	1457.440
66	SULTANPUR	0.000	1589.020
67	AMBEDKARNAGAR	0.000	1041.580
68	GONDA	0.000	689.700
69	BAHRAICH	0.000	214.850
70	BALRAMPUR	0.000	273.220
71	SHRAWASTI	0.000	425.700
72	C.S.M. NAGAR	0.000	9.000
	STATE TOTAL	198.320	51919.535

(रु0 एक करोड़ अट्ठान्बे लाख बत्तीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)  
अपर आयुक्त (लेखा),  
ग्राम्य विकास उ0 प्र0।

24/Ac (A.A.)

14/2/12

संख्या-9341/38-4-112-25बजट/2011

प्रेषक,

आर० पी० सिंह  
विशेष सचिव,  
उ०ऊ प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास  
उ० प्र०, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

दिनांक-13 मार्च, 2012

विषय महामाया आवास योजनान्तर्गत वर्ष-2011-12 में दैवी आपदा हेतु आरक्षित मात्राकृत धनराशि का उपयोग/व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 981/सम्पेक्षा/ दैवी आपदा/ 2011-12, दिनांक-13 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया आवास योजनान्तर्गत वर्ष- 2011-12 में बजट प्राविधानित धनराशि रू०-550.00 करोड़ में से 10 प्रतिशत की धनराशि रू०-55.00 करोड़ मात्राकृत धनराशि बनती है। उक्त मात्राकृत धनराशि रू०-55.00 करोड़ में से रू०-819.90, रू०-725.92 लाख, रू०-300.545 लाख अर्थात् कुल रू०-1846.365 की धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित लाभार्थियों पर व्यय/उपयोग करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुमति दी जा चुकी है। अवशेष मात्राकृत धनराशि में से 469 परिवारों के लिए रू०-198.32 लाख की धनराशि उपयोग/व्यय किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल निम्न प्रतिदन्धों /शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्रमांक	जनपद का नाम	आवास बिहीन परिवारों की संख्या	अपेक्षित धनराशि (रूपये लाख में)
1-	खीरी	128	57.60
2-	गौतमबुद्धनगर	08	3.60
3-	मैनुपरी	07	3.15
4-	लखनऊ	51	22.95
5-	मऊ	02	0.90
6-	महोबा	13	6.305
7-	सोनभद्र	54	24.30
8-	रामपुर	40	18.00
9-	बलिया	10	4.50
10-	झाँसी	09	4.365
11-	फर्रुखाबाद	43	19.35
12-	जौनपुर	104	33.30
		469	योग-रू०-198.32

14/3/12

14/3/12

- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0- 2011-17बजट/ 2010 ,दिनांक-11 अप्रै,2011 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि जनपद-खीरी, गौतमबुद्धनगर, मैनुपरी, लखनऊ, मऊ, महोबा, सोनभद्र, रामपुर बलिया, झाँसी,फर्रुखाबाद एवं जौनपुर में दैवी आपदा से प्रभावित हुए आवास विहीन परिवारों क लिए महामाया आवास पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। यदि उक्त स्वीकृत धनराशि का कोई अंश बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा।

भवदीय,


( आर० पी० सिंह )  
विशेष सचिव

संख्या-2341(1)/38-4-12तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-अपर आयुक्त(लेखा)ग्राम्य विकास,उ०प्र०,लखनऊ
- 3-मुख्य एवं वित्त लेखाधिकारी,ग्राम्य विकास,उ०प्र०,लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 6-संबंधित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी।
- 7-वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
- 9-समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
- 10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3
- 11-गार्डबुक।

आज्ञा से,

  
(डा० हरिश्चन्द्र)  
विशेष कार्यधिकारी।